न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–320/2026
(पसराहा थाना काण्ड संख्या 30/2026)
बादल कुमार एवं आठ अन्य – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

22.04.2026

आवेदक–अभियुक्तगण 1.बादल कुमार, संजय शर्मा, 3. अभय साह, 4.गीता देवी उर्फ रीता देवी, 5.रीतेश साह उर्फ चुचुन कुमार, 6. दिखुश कुमार साह उर्फ दिलखुश कुमार, 7. विकाश शर्मा उर्फ विकाश कुमार, 8.संतलाल साह एवं 9.किशुनलाल साह उर्फ कृष्णलाल साह की ओर से पसरहा थाना काण्ड संख्या 30/2026 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को आज उसके विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया तथा एक आवेदन दाखिल कर कथन किया गया कि इस जमानत आवेदन में कुछ त्रूटि हो गयी है इसलिये आवेदकगण इस अग्रिम जमानत वापस लेना चाहते हैं। उक्त तथ्यों के आलोक में इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को कोई अपत्ति नहीं। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकृत की जाती है तथा इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने के कारण खारिज किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।